

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता सं.08 के अधीन प्लॉट सं. 500,501,502,503, 534, 535, 548, 564,569, 576,577,591,592,593, 594, 597 ,598 and 599 (12.00 एकड़) के तहत ग्राम: पोटंगा थाना: बरकागाँव जिला: हाज़ारीबाघ (झारखण्ड) के निवासी(1) श्री रामेश्वर मांझी सुपुत्र स्वर्गीय दुर्गा मांझी, (2)श्री बाबूलाल मूरमु सुपुत्र सीताराम मांझी ,(3) श्री विजय मांझी सुपुत्र सुखलाल मांझी, (4) श्री शंकर मांझी सुपुत्र कार्तिक मांझी (5) श्री अघनु मांझी सुपुत्र लेदगा मांझी और (6) श्री बाबूलाल मांझी सुपुत्र श्री लेदगा माँझी से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_emplo_lnd.php पर इस

सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है , तो यह मान लिया जाएगा की ग्राम: पोटंगा थाना: बरकागाँव जिला: हाज़ारीबाघ (झारखण्ड) के निवासी(1) श्री रामेश्वर मांझी सुपुत्र स्वर्गीय दुर्गा मांझी, (2)श्री बाबूलाल मूरमु सुपुत्र सीताराम मांझी ,(3) श्री विजय मांझी सुपुत्र सुखलाल मांझी, (4) श्री शंकर मांझी सुपुत्र कार्तिक मांझी (5) श्री अघनु मांझी सुपुत्र लेदगा मांझी और (6) श्री बाबूलाल मांझी सुपुत्र श्री लेदगा माँझी के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

↑
X
21.02.17